न्यायालय, मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी/राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 26/2017-18 अन्तर्गत धारा–56 स्टाम्प अधि0

श्रीमती शान्ति नेगी पत्नी दीपक नेगी, निवासी–रिंग रोड़, इन्द्रप्रस्थ लेन नं0–11, नथनपुर, देहरादून, 2. श्रीमती हेमलता पत्नी प्रवीन पुरोहित, निवासी–ग्राम चकतुनवाला, देहरादून।

बनाम

1— उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर स्टाम्प/अपर जिला अधिकारी वित्त, राजस्व देहरादून

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)

अधिवक्ता निगरानीकर्त्रीगण : श्री जी0एस0 राणा।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्त्रीगण उपरोक्त ने अपर कलेक्टर, वित्त एवं राजस्व/स्टाम्प कलेक्टर, देहरादून द्वारा स्टाम्प वाद संख्या–44/2012–13 सरकार बनाम शान्ति नेगी आदि अन्तर्गत धारा–33/38 स्टाम्प एक्ट में पारित आदेश दिनांक 27–07–2017 के विरूद्ध प्रमुखतः इन आधारों पर योजित की गई है कि निगरानीकर्त्रीगण द्वारा मौजा नथनपुर, परगना देहरादून में 1100 वर्ग की भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23–12–2010 से क्रय की गई जिसका पंजीकरण उप निबन्धक, देहरादून के कार्यालय में विधिवत किया गया है, कि क्रय करने के उपरान्त एक माह पश्चात जब क्रय की गई भूमि की पैमाईश की गई तो उसके मेड़ पर दो पेड़ लीची के व एक पेड़ अमरूद का था जिसका उल्लेख मूल विक्रय पत्र में इसलिये नही हो पाया कि भूमि का सही सीमांकन क्रय करते समय नही किया गया, कि यह तथ्य सामने आने पर एक शुद्धि विलेख दिनांक 31–01–2011 को अंकित किया गया जिस पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है, कि उप निबन्धक द्वितीय द्वारा दिनांक 01–06–2011 को जो आख्या प्रस्तुत की गई है वह त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसमें शुद्धि विलेख को नया विलेख माना गया है एवं कि निगरानीकर्त्रीगण को अवर न्यायालय से इस सम्बन्ध में कोई सूचना नही प्राप्त हुई है।

मैंने निगरानी की ग्राह्यता पर निगरानकर्त्रीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।

आक्षेपित आदेश में यद्यपि यह उल्लेख किया गया है कि "विपक्षी को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही आ रहे है ऐसी स्थिति में वाद को एकपक्षीय निर्णीत किया जाना उचित है"। लेकिन यह स्पष्ट नही है कि निगरानीकर्त्रीगण को कब नोटिस भेजा गया तथा वह किस तिथि को उन पर तामील हुई या उन्हें प्राप्त हुआ, जबकि निगरानीकर्त्रीगण द्वारा अपने निगरानी पत्र जो शपथ

पत्र से समर्पित है में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उन्हें निम्न न्यायालय से कोई सूचना इस सम्बन्ध में प्राप्त नही हुई है। इसके अतिरिक्त यह तो स्पष्ट है कि निगरानीकर्त्रीगण अवर न्यायालय में अपना पक्ष नही रख पाये हैं एवं न्यायहित में उन्हें इस सम्बन्ध में एक अवसर दिया जाना अपरिहार्य है।

उक्त के दृष्टिगत ग्राहयता स्तर पर ही बिना अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख प्राप्त किये यह न्यायोचित है कि प्रकरण ग्रहण कर एवं आक्षेपित आदेश अपास्त कर उसे विद्वान अपर कलेक्टर, वित्त एवं राजस्व/स्टाम्प कलेक्टर को इस आशय से प्रति प्रेषित किया जाए कि निगरानीकत्रीगण को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही विधिसम्मत आदेश पारित करें।

अतः निगरानी ग्रहण कर आक्षेपित आदेश दिनांक 27–07–2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण उक्तानुसार विद्वान अपर कलेक्टर, वित्त एवं राजस्व को प्रति प्रेषित किया जाता है जो निगरानीकर्त्रीगण को आपत्ति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत आदेश पारित करेंगे। पक्षकार दिनांक 25–10–2017 को अपर कलेक्टर, वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में उपस्थित हों। जहां तक निगरानी पत्र में उल्लिखित अन्य विधिक एवं तथ्यात्मक बिन्दुओं का प्रश्न है, संदर्भकर्त्रीगण/निगरानीकर्त्रीगण उन्हें विद्वान अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

दिनांक :–

4/x/2017

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)/
मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी।